न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 47/2017

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1– श्री कान्तिलाल पुत्र प्रेमाजी | | 1– श्री मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल |
| 2– श्री गोविन्दलाल पुत्र प्रेमाजी | | आयु वयस्क जाति पटेल निवासी उबरट |
| 3– श्री गिरधारीलाल पुत्र प्रेमाजी | | हाल निवासी पाडीव तह.व जि.सिरोही |
| सभी आयु वयस्क जाति रावल | | 2– राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार,सिरोही |
| ब्राहाण पेशा खेती और व्यापार निवासी | | |
| सारणेश्वरजी तह.व जिला सिरोही | | |

उपस्थित :–
1– वादीगण की ओर से वकील श्री ऋषि माथुर
2–प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 ,188 राज.काश्त.अधि. 1955 के तहत
प्राप्त करने खातेदारी कृषक की घोषणा व प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा

## निर्णय

दिनांक 30–9–2019

वादीगण ने जरिये वकील यह राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधियिम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी संख्या एक इस न्यायालय मे दिनांक 26–5–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादी ने अपने उक्त वाद पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि ग्राम पाडीव पटवार क्षैत्र पाडीव तहसील सिरोही मे निम्न विवरण की कृषि भूमि आई हुई है :–

| कं.सं. | खसरा संख्या | क्षैत्रफल (हैक्टेयर मे ) |
|---|---|---|
| 1– | 2343 | 01.3300 |
| 2– | 2356 | 01.3500 |
| 3– | 2357 | 02.0600 |
| 4– | 2361 | 00.1100 |
| 5– | 2362 | 01.3000 |
| 6– | 2363 | 02.0700 |
| 7– | 2364 | 01.1800 |
| 8– | 2365 | 00.1600 |
| 9– | 2367 | 00.1200 |

कुल किता 9 कुल रकबा 09.6800 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त और हक अधिकार वादीगण का उनके पिता के जरिये पिछले 67 वर्षो से लगातार बिना रूकावट एवं शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के इस सेटलमेण्ट के पूर्व के खसरा नंबरान एवं रकबा निम्न अनुसार है :–

| कं.सं. | खसरा नंबर | क्षैत्रफल (बीघा–विस्वा) |
|---|---|---|
| 1– | 1731 | 12.05 |
| 2– | 1732 | 08.07 |
| 3– | 1733 | 03.01 |
| 4– | 2382 | 05.04 |
| 5– | 2383 | 00.10 |
| 6– | 2387 | 00.13 |
| 7– | 2388 | 08.00 |
| 8– | 2389 | 12.16 |
| 9– | 2390 | 07.06 |
| 10– | 2391 | 01.00 |
| 11– | 2393 | 00.15 |

कुल किता 11 कुल रकबा 59 बीघा 17 विस्वा

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा एवं हक अधिकार वादीगण का उनके पिता प्रेमाजी पुत्र गमनाजी रावल के जरिये गत 65 वर्षो से अधिक समय से लगातार बिना रूकावट एवं शान्तिपूर्वक तरीके से प्रतिवादी की जानकारी मे चला आ रहा है प्रतिवादी ने वादीगण को या उनके पिता को उक्त कृषि भूमि मे खेती करने मे कभी भी

Continue Page-2

कोई रूकावट पैदा नही की है। वादीगण उनके पिता के जरिये उक्त कृषि भूमि मे उनका खातेदारी हक अधिकार जताते हुये एवं बताते हुये काबिज काश्त है। उपरोक्त कृषि भूमि गांव के जागीरदार श्री बलवन्तसिंहजी के जागीरी की कृषि भूमि थी लेकिन उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता प्रेमाजी पुत्र गमनाजी रावल का संवत 2008 से लगातार रहा है जिससे गांव के जागीरदार ने विवादित कृषि भूमि पुजारी प्रेमा वल्द गमनाजी रावल ब्राहाण निवासी सारणेश्वरजी को भेट की थी एवं प्रेमाजी को निर्देश दिये थे कि इस जमीन की आय से खुद का गुजारा करें एवं सारणेश्वरजी महादेव स्थान सारणेश्वरजी जो इस भूमि मे देवली के रूप में विधामान है की सेवा पुजा का तमाम खर्च स्वंय वहन करें एवं उक्त देवली की व्यवस्था भी करते रहे इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रेमाजी का कब्जा होने से गांव के जागीरदार ने उक्त भूमि प्रेमाजी को दान दी थी और प्रेमाजी भी उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होने से काश्त करते रहे जिससे प्रेमाजी उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार कृषक बनें । पाडीव गांव मे भूप्रबन्ध संवत 2012 मे हुआ है चूंकि सारणेश्वरजी महादेव की देवली उक्त मंदिर मे स्थित रही है जिससे भूप्रबन्ध के दौरान भूप्रबन्ध कर्मचारियों ने देवली का नाम खातेदार प्रेमा के साथ और बऐतमाम के रूप मे अंकित कर दिया है जो पूर्णतया गलत और विधि विरूद्व हे जबकि प्रेमाजी ही उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार रहे है प्रेमाजी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त लगातार बिना रूकावट एवं शान्तिपूर्वक तरीके से रहा है। प्रेमाजी ने उक्त भूमि एक वर्ष के लिये काश्त हेतु मगनभाई को भोग पर दी थी जो वर्ष की समाप्ति पर मगनभाई ने उक्त भूमि का कब्जा पुनः प्रेमा को सुपुर्द कर दिया और पुनः गुजरात चला गया उसके बाद आज दिन तक प्रतिवादी मगनभाई न तो कभी उक्त भूमि पर आया और नही कभी काश्त की है उक्त भूमि का लगान भी प्रेमाजी व उसके परिवारजन निरन्तर अदा करते आ रहे है व रसीद मगनभाई के नाम से जारी होती रही है। वादीगण के पिता अनपढ के कारण उक्त कृषि भूमि की खातेदारी पुनः वादीगण के पिता के नाम से दर्ज नही हो सकी जबकि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त गत 67 वर्षो से वादीगण का ही चला आ रहा है। वादीगण के पिता ने उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी प्रतिवादी को नही दिया है। प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे खसरा संख्या 2343, 2356, 2357, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2367 (पुराने खसरा नंबर 1731,1732,173,2382,2383,2387,2388,2389,2391,2393) की कृषि भूमि मे गलत रूप से अंकित रह जाने के कारण प्रतिवादी अथवा उनके वारीसान भविष्य मे उक्त कृषि भूमि मे खातेदारी अधिकार जताने की चेष्टा कर सकते है जिससे वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अंकित कृषि भूमि की खातेदारी की घोषण उनके नाम से प्राप्त करें एवं वादीगण उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक होने का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अंकित करावें अतः वादीगण का यह वाद वास्ते घोषणा खातेदारी प्रतिवादी विरूद्व प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने वादीगण एवं उसके पिता के विरूद्व कभी भी बेदखली की कार्यवाही नही की है । वादीगण एवं उनके पिता का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा होने की जानकारी प्रतिवादी को रही है इस प्रकार वादीगण का उनके पिता के जरिये वादग्रस्त कृषि भूमि पर ओपन एवं होस्टाईल कब्जा रहा है एवं वादीगण का उक्त कब्जा प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी मे आता है। जिससे धारा 63(1)(4) एवं धारा 214 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 27 भारतीय अवधि नियम की मंशा से वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रतिवादी के राईट टाईटल एण्ड इण्टरेस्ट समाप्त होकर लॉ आफ प्रिसकिपशन से वादीगण ने एक्वायर कर लिये है और वादीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक विधि मे बन चुके है वादीगण से वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा लेने की विधिक अवधि वर्षो पूर्व समाप्त हो चुकी है। वादीगण ही उक्त कृषि भूमि का लगान अदा करते आ रहे है प्रतिवादी ने पिछले 58 वर्षो से वादग्रस्त कृषि भूमि का लगान राजस्थान राज्य को कभी भी अदा नही किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण द्वारा बोई गई फसल रायडा व गैहुँ आज भी मौके पर खडी हुई है।

वादीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक होने का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अंकित कराने हेतु वादीगण का यह वाद वास्ते घोषण खातेदारी प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत है प्रतिवादी वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नही है यदि प्रतिवादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय कर दिया तो वादीगण को बहुविवाद मे उलझना पडेगा तथा वाद की विषय वस्तु ही बदल जावेगी एवं लडाई झगडा होने की नौबत आ जावेगी जिससे वादीगण के हितों के रक्षार्थ प्रतिवादी के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है किवे वादग्रस्त कृषि भूमि का विक्रय या अन्य से हस्तान्तरण नही करें एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी पैदा नही करें एवं न उनके एजेन्टो से करावें इस हेतु वादीगण का यह वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण का यह वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाकर वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्व निम्न प्रकार डिकी करना फरमावें :–

1– वादी को वादपत्र मे वर्णित वादग्रत कृषि भूमि मौजा पाडीव पटवार हल्का पाडीव तहसील सिरोही मे स्थित खसरा संख्या 2343,2356,2357,2361,2362,2363,2364,2365,2367
(पुराने खसरा नंबर 1731,1732,173,2382,2383,2387,2388,2389,2391,2393) का खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिकी

2– वादग्रस्त कृषि भूमि से प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित किये जाने की डिकी

3– प्रतिवादी वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करें इस हेतु प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की डिकी

4– प्रतिवादी या उनके नुमाईन्दे वादग्रस्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें इस हेतु उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की डिकी

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र व संलग्न वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता संख्या 565 जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 622 जमाबंदी संवत 2014 से 2017 जमाबी संवत 2018 से 2021 जमाबंदी संवत 2022 से 2025 जमाबंद संवत 2026 से 2029 ,जमाबंदी संवत 2030 से 2033 मिलान क्षैत्रफल,नक्शा ट्रेस लगान की रसीदे खतौनी बंदोवस्त संवत 2013 से 2033 खतौनी बंदोवस्त संवत 2012 से 2033 का अवलोकन कर उस पर मनन करने पर वादपत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 16–4–2008 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जवाबदावा प्रस्तंत करने हेतू सम्मन जारी किये गये । जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार,सिरोही का सम्मन तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 23–10–2017 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अदम तामिल प्राप्त होने से

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

शामिल मिसल किया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 12–3–2018 को वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या एक मगनलाल के सम्मन की तामिली स्थानीय दैनिक अखबार नवज्योति मे प्रकाशन स्वंय के खर्चे से कराने हेतु निवेदन करने पर न्यायहित मे अनुमति देने हेतु वकील वादी को निर्देश दिये कि प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन प्रकाशन अखबार मे कराने हेतु पेश करने पर जारी कर दस्ती वकील वादी को दी जावें । विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 12–3–2018 को वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक का सम्मन स्थानीय दैनिक अखबार दैनिक नवज्योति मे प्रकाशन वादी के स्वंय के खर्चे पर कराने हेतु पेश करने की अनुमति देकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत सम्मन जारी कर वकील वादी को देकर उक्त अखबार मे सम्मन की प्रकाशन के बाद अखबार की प्रति आगामी पेशी दिनाक 9–5–2018 को पेश करने का आदेश दिया गया । दिनांक 9–5–2019 को प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या एक का सम्मन उक्त दैनिक नवज्योति अखबार दिनांक 24–3–2018 की प्रति पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

इस न्यायालय मे उक्त विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 28–8–2018 को प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार ,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 621 दिनांक 27–7–2018 के द्वारा जवाबदावा तथा संबंधित पटवारी हल्का पाडीव की मौका जांच रिर्पोट दिनांक 1–8–2018 भी पेश की गई है जिसे शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 को सम्मन की जानकारी दैनिक नवज्योति अखबार दि 24–3–2018 के जरिये होने के बावजूद निरन्तर तारीख पेशी पर हाजिर नही हो रहे है। आज न्यायालय मे सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 को हाजिर होने हेतू न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या उनके प्रतिनिधि/वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये ।

प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने अपने जवाबदावा मे यह कथन किया है कि वाद पद संख्या 1 व 2 का कथन सत्य होने से स्वीकार है तथा जमाबंदी की नकल संलग्न है। वाद पद संख्या 3 के सम्बन्ध मे कथन किया कि गांव मे प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कृषि भूमि पर कब्जा वादीगणों का होना पाया गया है,जिसकी पुष्टि संलग्न मौका फर्द दिनांक 1–8–2018 से होती है। वाद पद संख्या 5 के सम्बन्ध मे कथन किया कि गांव मे प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि अधिक समय से वादीगणों का ही कब्जा काश्त होना बताया है। वाद पद संख्या 6 का कथन न्यायालय से संबंधित तथा वादपद सं.7का कथन वादीगण स्वंय सिद्व करना बताया है। वाद पद संख्या 8 के सम्बन्ध मे कथन किया कि उक्त कृषि भूमि पर खेती कर रहे काश्तकार श्री समेलाराम पुत्र मोतीजी जाति रेबारी निवासी पाडीव द्वारा हासल पेटे करीब 30 वर्षो से वादीगणों की ओर से खेती करना बताया है। उक्त कृषि भूमि का लगान वादीगण ने ही अदा करना बताया है। वाद पद संख्या 10 व 11 न्यायालय से संबंधित होना बताया है। वाद पद संख्या 12 के सम्बन्ध मे कथन किया कि गांव मे मौका जांच अनुसार उक्त भूमि पर प्रतिवादी मगनभाई का कभी भी कब्जा काश्त होना नही पाया । उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का होना बताया है। वाद पद संख्या 13 से 17 के सम्बन्ध मे कथन इस न्यायालय से संबंधित होना तहसीलदार,सिरोही ने बताया है।

संयुक्त मौका जांच फर्द दिनांक 1–8–2019 जो पटवारी हल्का पाडीव व भू.अ.नि. पाडीव ने गांव के मौतबिरान की उपस्थिती मे तैयार की है। उक्त संयुक्त मौका जांच रिर्पोट अनुसार ग्राम पाडीव मे खसरा नंबर 2343,2356,2357,2361 से 2365 से 2367 किता 9 कुल क्षैत्रफल 9.6800 हैक्टेयर मौके पर उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 622 के अनुसार मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि अरठनामे "भेरीयोवाला"पर काश्तकार समेलाराम पुत्र मोतीजी रेबारी निवासी पाडीव उपस्थित मिला उसने बताया कि वह करीब 30 साल से उक्त भूमि पर हासल पेटे खेती कर रहा है उक्त भूमि पर कब्जा कान्तिलाल ,गोविन्दलाल,गिरधारी लाल पि.प्रेमाजी जाति रावल निवासी सारणेश्वरजी का ही है तथा उनके कहे अनुसार वह 30 वर्षो से उक्त भूमि पर खेती कर रहे है। मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल को हमने कभी भी पाडीव गांव मे नही देखा है तथा इस भूमि पर कभी खेती करते नही देखा है। उक्त भूमि का लगान हमेशा कान्तिलाल पि.प्रेमाजी रावल ही अदा करतते आ रहे है। कुएं पर सारणेश्वरजी महादेव की देवली स्थित है जिसकी पूजा भी कान्तिलाल वगैरहा रावल करते आ रहे है। उक्त भूमि पर कब्जा कान्तिलाल,गोविन्दलाल,गिरधारीलाल पि.प्रेमाजी रावल निवासी सारणेश्वरजी का ही है। उक्त मौका फर्द पर संबंधित पटवारी हल्का पाडीव व भू.अ.निरीक्षक पाडीव के हस्ताक्षर के अलावा मौतबिरान मे श्री समेलाराम पुत्र मोतीजी रेबारी निवासी पाडीव व श्रीमति उकीदेवी पत्नि मोतीजी रेबारी नि. पाडीव तथा बाबराराम पुत्र सबलाजी रेबारी निवासी पाडीव की अंगुष्ठ निशानी है तथा वणाराम,दलाराम वीराजी घांची निवासी पाडीव व सोगाजी के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त मौका फर्द के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि की मौजा पाडीव की जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता नंबर नया 622 खसरा नंबर 2343,2356,2357,2361,2362,2363,2364,2365,2367 किता 9 कुल क्षैत्रफल 9.6800 हैक्टेयर की नकल भी पेश की है।

इस न्यायालय मे विचारण वाद प्रकरण प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के फलस्वरूप तनकीयात बनाने की न्यायालय ने आवश्यकता नही समझने से प्रकरण मे वादीगण श्री कान्तिलाल व गोविन्दलाल ने साक्ष्य वादी के तौर पर अपने अपने शपथ पत्र वकील वादीगण के मार्फत पेश किये जिन्हे शामिल मिसल किया गया न्यायालय मे दिनांक 18–9–2018 को सुनवाई पेशी पर प्रस्तुत किये जिस पर दिनांक 2–4–2019 को न्यायालय मे सुनवाई पेशी पर उक्त साक्ष्य वादी के शपथपत्रों पर जिरह के लिये तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की साक्ष्य हेतु पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि विचारण वाद प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट फोरमल पक्षकार होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई राजहित प्रभावित नही होने से साक्ष्य वादी के शपथपत्र पर स्टेट पैरोकार की जिरह शुन्य रही तथा विचारण वाद प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार सिरोही फोरमल पक्षकार होने वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई राजहित प्रभावित नही होने से प्रतिवादी स्टेट की साक्ष्य बंद करावे अतः पैरोकार सरकार के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की साक्ष्य भी बंद की गई । विचारण वाद प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने से न्यायालय द्वारा तनकीयात बनाने की आवश्यकता नही महसूस करने से सीधे ही वकील वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार ,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार ,कालन्द्री) विचारण वाद अ.धा.88 व 188 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस इस न्यायालय मे दिनांक 19–8–2019 को रखी गई । जिस पर वकील वादी तथा पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

सहायक कलक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page-4

वकील वादीगण ने दौराने बहस वादपत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त और हक अधिकार वादीगण का उनके पिता के जरिये पिछले 67 वर्षो से लगातार बिना रूकावट एवं शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि गांव के जागीरदार श्री बलवन्तसिंहजी के जागीरी की कृषि भूमि थी लेकिन उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता प्रेमाजी पुत्र गमनाजी रावल का संवत 2008 से लगातार रहा है जिससे गांव के जागीरदार ने विवादित कृषि भूमि पुजारी प्रेमा वल्द गमनाजी रावल ब्राहाण निवासी सारणेश्वरजी को भेट की थी एवं प्रेमाजी को निर्देश दिये थे कि इस जमीन की आय से खुद का गुजारा करें एवं सारणेश्वरजी महादेव स्थान सारणेश्वरजी जो इस भूमि मे देवली के रूप में विद्यमान है की सेवा पुजा का तमाम खर्च स्वंय वहन करें एवं उक्त देवली की व्यवस्था भी करते रहे इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रेमाजी का कब्जा होने से गांव के जागीरदार ने उक्त भूमि प्रेमाजी को दान दी थी और प्रेमाजी भी उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होने से काश्त करते रहे जिससे प्रेमाजी उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार कृषक बनें । पाडीव गांव मे भूप्रबन्ध संवत 2012 मे हुआ है चूंकि सारणेश्वरजी महादेव की देवली उक्त मंदिर मे स्थित रही है जिससे भूप्रबन्ध के दौरान भूप्रबन्ध कर्मचारियों ने देवली का नाम खातेदार प्रेमा के साथ और बऐतमाम के रू मे अंकित कर दिया है जो पूर्णतया गलत और विधि विरूद्व हे जबकि प्रेमाजी ही उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार रहे है प्रेमाजी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त लगातार बिना रूकावट एवं शान्तिपूर्वक तरीके से रहा है। प्रेमाजी ने उक्त भूमि एक वर्ष के लिये काश्त हेतु मगनभाई को भोग पर दी थी जो वश्र की समाप्ति पर मगनभाई ने उक्त भूमि का कब्जा पुनः प्रेमा को सुपुर्द कर दिया और पुनः गुजरात चला गया उसके बाद आज दिन तक प्रतिवादी मगनभाई न तो कभी उक्त भूमि पर आया और नही कभी काश्त की है उक्त भूमि का लगान भी प्रेमाजी व उसके परिवारजन निरन्तर अदा करते आ रहे है व रसीद मगनभाई के नाम से जारी होती रही है। वादीगण के पिता के अनपढता के कारण उक्त कृषि भूमि की खातदारी पुनः वादीगण के पिता के नाम से दर्ज नही हो सकी,जबकि उपरोक्त विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का ही चला रहा है प्रतिवादी ने कभी भी वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही नही की है। इस प्रकार वादीगण का उनके पिता के जरिये वादग्रस्त कृषि भूमि पर ओपन एवं होस्टाईल कब्जा रहा है एवं वादीगण का उक्त कब्जा प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी मे आता है। जिससे धारा 63(1)(4) एवं धारा 214 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 27 भारतीय अवधि नियम की मंशा से वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रतिवादी के राईट टाईटल एण्ड इण्टरेस्ट समाप्त होकर लॉ आफ प्रिसकिपशन से वादीगण ने एक्वायर कर लिये है और वादीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक विधि मे बन चुके है वादीगण से वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा लेने की विधिक अवधि वर्षो पूर्व समाप्त हो चुकी है। वादीगण ही उक्त कृषि भूमि का लगान अदा करते आ रहे है प्रतिवादी ने पिछले 58 वर्षो से वादग्रस्त कृषि भूमि का लगान राजस्थान राज्य को कभी भी अदा नही किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण द्वारा बोई गई फसल रायडा व गैहुँ आज भी मौके पर खडी हुई है। अतः वादीगण का यह वाद अ.धा. 88,188 आर.टी.एक्ट का विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार फरमाया जाकर वादी को वादपत्र मे वर्णित वादग्रत कृषि भूमि मौजा पाडीव पटवार हल्का पाडीव तहसील सिरोही मे स्थित खसरा संख्या 2343,2356,2357,2361,2362,2363,2364,2365,236 (पुरानेखसरानंबर1731,1732,173,2382,2383,2387,2388,2389,2391,2393) का खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री वादग्रस्त कृषि भूमि से प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित किये जाने की डिक्री तथा प्रतिवादी वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करें इस हेतु प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की डिक्री जारी करना फरमावें ।

प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,कालन्द्री) ने अपनी बहस मे प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार,सिरोही के उक्त जवाबदावा व संलग्न संयुक्त मौका जांच रिर्पोट मे अंकित तथ्यों को दोहराते कथन किया कि गांव पाडीव मे प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कृषि भूमि पर कब्जा वादीगणों का होना पाया गया है,जिसकी पुष्टि संलग्न मौका फर्द दिनांक 1–8–2018 से होती है। पाडीव गांव मे प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि अधिक समय से वादीगणों का ही कब्जा काश्त होना बताया है। उक्त कृषि भूमि पर खेती कर रहे काश्तकार श्री समेलाराम पुत्र मोतीजी जाति रेबारी निवासी पाडीव द्वारा हासल पेटे करीब 30 वर्षो से वादीगणों की ओर से खेती करना बताया है। उक्त कृषि भूमि का लगान वादीगण ने ही अदा करना बताया है। गांव पाडीव मे मौका जांच अनुसार उक्त भूमि पर प्रतिवादी मगनभाई का कभी भी कब्जा काश्त होना नही पाया । उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का होना बताया है। उक्त संयुक्त मौका जांच रिर्पोट अनुसार ग्राम पाडीव मे खसरा नंबर 2343,2356,2357,2361 से 2365 से 2367 किता 9 कुल क्षैत्रफल 9.6800 हैक्टेयर मौके पर उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 622 के अनुसार मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि अरठनामे "मेरीयोवाला"पर काश्तकार समेलाराम पुत्र मोतीजी रेबारी निवासी पाडीव उपस्थित मिला उसने बताया कि वह करीब 30 साल से उक्त भूमि पर हासल पेटे खेती कर रहा है उक्त भूमि पर कब्जा कान्तिलाल ,गोविन्दलाल,गिरधारी लाल पि.प्रेमाजी जाति रावल निवासी सारणेश्वरजी का ही है तथा उनके कहे अनुसार वह 30 वर्षो से उक्त भूमि पर खेती कर रहे है। मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल को हमने कभी भी पाडीव गांव मे नही देखा है तथा इस भूमि पर कभी खेती करते नही देखा है। उक्त भूमि का लगान हमेशा कान्तिलाल पि.प्रेमाजी रावल ही अदा करतते आ रहे है। कुएं पर सारणेश्वरजी महादेव की देवली स्थित है जिसकी पूजा भी कान्तिलाल वगैरहा रावल करते आ रहे है। उक्त भूमि पर कब्जा कान्तिलाल,गोविन्दलाल,गिरधारीलाल पि.प्रेमाजी रावल निवासी सारणेश्वरजी का ही है। उक्त मौका फर्द पर संबंधित पटवारी हल्का पाडीव व भू.अ.निरीक्षक पाडीव के हस्ताक्षर के अलावा मौतबिरान मे श्री समेलाराम पुत्र मोतीजी रेबारी निवासी पाडीव व श्रीमति उकीदेवी पत्नि मोतीजी रेबारी नि. पाडीव तथा बाबराराम पुत्र सबलाजी रेबारी निवासी पाडीव की अंगुष्ठ निशानी है तथा वणाराम,दलाराम वीराजी घांची निवासी पाडीव व सोगाजी के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त मौका फर्द के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि की मौजा पाडीव की जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता नंबर नया 622 खसरा नंबर 2343 ,2356, 2357, 2361, 2362, 2363 ,2364, 2365 ,2367 किता 9 कुल क्षैत्रफल 9.6800 हैक्टेयर की नकल भी पेश की है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

हमने विचारण वाद प्रकरण की मूल पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । वकील वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.कालन्द्री) की अंतिम बहस पर भी गौर से मनन किया। वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबंदी संवत 2014 से 2017 राजस्व

Continue Page-5

ग्राम पाडीव के अनुसार भूमि अधिकारी के कॉलम में श्री सारणेश्वर महादेव स्थान सारणेश्वरजी सिरोही व एतमाम पुजारी प्रेमा वल्द गमना रावल सारणेश्वरजी सिरोही माफी धर्मादा दर्ज है जबकि नाम कृषक के कॉलम में मगनभाई वल्द मणीभाई पटेल सा. उबरर हाल पाडीव दर्ज रिकार्ड है। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2022 से 2026 के अनुसार मगनभाई वल्द मणीभाई पटेल सा. उबरट हाल पाडिव खातेदार दर्ज रिकार्ड है तब से लगातार मगनभाई वल्द मणीभाई पटेल सा. उबरट हाल पाडिव के नाम आज दिनांक तक दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा अपने जवाब व बहस में लगातार संवत 2008 से कब्जा वादीगण का होने से रिकार्ड में अपने नाम की खातदारी घोषणा का इन्द्राज चाहा है। सरकार के जवाब व बहस व मौका फर्द दिनांक 1.8.2018 के अनुसार भी वादीगण का ही मौके पर लगातार 30 वर्षो से वादीगण का ही कब्जा काश्त है। उक्त भूमि की हासिल भी वादीगण ही अदा करते है एवं उक्त कुऍ पर श्री सारणेश्वरजी महादेव की देवली स्थित है जिसकी पूजा भी वादीगण करते आ रहे है। उक्त संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय 2011(2)आरआरटी 721 अनबान जगदीश व अन्य बनाम श्री सीताराम व अन्य निर्णय दिनांक 3.6. 2011 पेज नंबर 721 से 740 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते। दृष्टांत के बिन्दु संख्या 71, 72 में अंकित अनुसार With all humility this bench feels that the real issue pertaining to conferment of khatedari rights entirely on the basis of adverse possession in the background of the provisions mentioned in the special statute was not at all raise and adjudicated before the Hon´Highcourt. Hon´ble apex court in the judgment cited at 1994 5SCC page 562 has held that:

**" Tenancy rights are not proprietary rights,therefore ' law of adverse possession does not apply to agriculture holding in the state"**

More so because tenancy act is a special act legislated as a measure land reforms and it does not provide such conferment. It is also very pertinent to refer here the words used in the preamble of rajasthan tenancy act

**"An act to consolidate and amend the law relating to tenancies of agricultural land , and to provide for certain measure of land reforms and matters connected therewith"**

In this way if tenancy rights are conferred on the basis of adverse possession by the courts when there is no provision in this special act it will be against the basic structure and scheme of the statute. The act was legislated to provide permanent relief to the peasantry. In such case if adverse possession is made a basis of conferment of khatedari rights it will be a retrograde step to land reforms.

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादी में वादीगण द्वारा 68 वर्ष का कब्जा बताया है लेकिन यह उल्लेखित नहीं किया गया कि इतने लम्बे समय बाद वादकारण उत्पन्न होने का क्या कारण रहा है। अपने वाद पत्र में वादीगण द्वारा इस तथ्य का कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वादी द्वारा कुछ समय के लिये प्रतिवादी को उक्त भूमि काश्त के लिये दी थी जिसका कोई समय वर्ष का हवाला भी नहीं दिया है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि वादीगण का कब्जा काश्त अनवरत कब से रहा है। वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही भी अमल में लाई गई है। वाद में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की कानूनी नजीर अनुसार मात्र कब्जा होने से खातेदारी अधिकारी प्रदान किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की प्रस्तावना व प्रावधानों के विपरित होने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (एसडीओ)
सिरोही

निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (एसडीओ)
सिरोही

डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

# सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.47/2017

राजस्व वाद संख्या 47/2017

वादीगण
1– श्री कान्तिलाल पुत्र प्रेमाजी
2– श्री गोविन्दलाल पुत्र प्रेमाजी
3– श्री गिरधारीलाल पुत्र प्रेमाजी
सभी आयु वयस्क जाति रावल
ब्राहाण पेशा खेती और व्यापार निवासी
सारणेश्वरजी तह.व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण
1– श्री मगनभाई पुत्र मणीभाई पटेल
आयु वयस्क जाति पटेल निवासी उबरट
हाल निवासी पाडीव तह.व जि.सिरोही
2– राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार,सिरोही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही उपस्थित वादी गण वकील श्री ऋषि माथुर आढा उपस्थित हुये तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री ) वकील वादीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनकर उस पर मनन करने तथा विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड की प्रतियों के गहनतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त वादीगण का यह वाद अ.धा. 88,188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी संख्या एक एडर्वस पजेशन के आधार पर साबित नही होने से स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाता है। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-9-19 को जारी किया गया ।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 30–9– 2019 मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी की गई ।

| मुद्वाई | रू | पैसे |
|---|---|---|
| स्टॉम्प अरजी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | |
| मुतफरीक | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मौजान | | |

| मुद्वायलाह | रू | पैसे |
|---|---|---|
| स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प अरजी | | |
| महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरीक | | |
| मौजान | | |

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.30 19:30:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: